

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष-वित्त/बजट) मध्य प्रदेश, भोपाल

PHONE NO./FAX NO.-0755 2674286, E-mail- apccfbgt@mp.gov.in

क्रमांक/कक्ष-03/बजट-1/एफ-0812/2019/5307

भोपाल, दिनांक 24/10/19

प्रति,

- वनमंडलाधिकारी सामान्य वनमंडल
भोपाल/उत्तर बालाघाट/पूर्व छिन्दवाड़ा/
उत्तर पन्ना/सतना/उत्तर शहडोल/दमोह।
- वन संरक्षक कार्य आयोजना
सागर/ग्वालियर/उज्जैन
- उप वन संरक्षक (प्रशासन)
कार्या. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन) भोपाल
मध्यप्रदेश।

विषय:- मांग संख्या 10-2406-01-101-0101-0812-कार्यकारी योजना संगठन एवं कार्यकारी वन वृत्तों की स्थापना अंतर्गत बजट आवंटन वर्ष 2019-20।

—00—

विषयांतर्गत मांग संख्या 10-2406-01-101-0101-0812- कार्यकारी योजना संगठन एवं कार्यकारी वन वृत्तों की स्थापना अंतर्गत आपकी मांग को दृष्टिगत रखते हुये तथा बजट उपलब्धता के आधार पर निम्नानुसार उद्देश्य/विस्तृत शीर्षों में बजट आवंटन किया जाता है:-

आहरण संवितरण अधिकारी	उद्देश्य/विस्तृत शीर्ष	पूर्व आवंटन	अतिरिक्त आवंटन	योग	रिमार्क
वनमंडलाधिकारी भोपाल सामान्य	11-009-चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति	4903041	800000	5703041	आपका पत्र क्रमांक/4986 दिनांक 14.10.2019 (उक्त अतिरिक्त आवंटन में श्रीमती अमिता शर्मा, वनरक्षक के राशि रूपये 1.25 भुगतान हेतु सम्मिलित है) क्रमांक/4798, 4796 दि. 04.10.2019
वनमंडलाधिकारी उत्तर बालाघाट सामान्य	11-009-चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति	597500	240000	837500	आपका पत्र पृ. क्रमांक/1460 दिनांक 05.10.2019
वनमंडलाधिकारी पूर्व छिन्दवाड़ा सामान्य	11-009-चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति	662188	41650	703838	आपका पत्र पृ. क्रमांक/1607 दिनांक 14.10.2019
वनमंडलाधिकारी उत्तर पन्ना सामान्य	11-009-चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति	311060	27983	339043	आपका पत्र क्रमांक/1514 दिनांक 18.10.2019
वनमंडलाधिकारी सतना सामान्य	11-009-चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति	38182	110001	148183	आपका पत्र पृ. क्रमांक/9331 दिनांक 28.09.2019
वनमंडलाधिकारी उत्तर शहडोल सामान्य	11-009-चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति	0	9067	9067	आपका पत्र पृ. क्रमांक/1420 दिनांक 28.09.2019

82
24/10

वन संरक्षक कार्य आयोजना सागर	11-009-चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति	0	70000	70000	आपका पत्र पृ०क्रमांक/641 दिनांक 26.09.2019
वन संरक्षक कार्य आयोजना ग्वालियर	16-009-चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति	0	30000	30000	अ.प्र.मु.व.सं. आंचलिक का.आ. इन्दौर का पत्र क्रमांक/854 दि. 01.10.2019
वन संरक्षक कार्य आयोजना उज्जैन	16-009-चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति	0	2000	2000	अ.प्र.मु.व.सं. आंचलिक का.आ. इन्दौर का पत्र क्रमांक/852 दि. 01.10.2019
वनमंडलाधिकारी दमोह सामान्य	16-009-चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति	0	51450	51450	मु.व.सं. का पत्र क्रमांक/ 1522 दि. 28.09.19
उप वन संरक्षक (प्रशासन) कार्या. प्र.मु. व.सं. (उत्पादन) भोपाल	22-006-वर्दियां	0	10000	10000	अ.प्र.मु.व.सं. (जनसंपर्क एवं क्रिये) क्रिये डिपों का पत्र क्र/511 दिनांक 15.08.2019 एवं आपकी टीप क्रमांक/192 दि. 11.09.2019
	22-008-अन्य आकस्मिक	0	200000	200000	
	33-003-वाहन अनुरक्षण	0	60000	60000	

1. उपरोक्त आवंटित राशि का व्यय शासन द्वारा समय-समय पर जारी मितव्ययता संबंधी आदेशों/निर्देशों के अनुरूप किया जाना सुनिश्चित करें।
2. चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति का भुगतान शासन द्वारा जारी मध्यप्रदेश सिविल सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम-1958 व लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग/वित्त विभाग द्वारा जारी नियम एवं निर्देशों का पालन सुनिश्चित करें। उक्त नियम/निर्देश यथावत रहेंगे।
3. उक्त आवंटित राशि से संदर्भित पत्रों से मांग की गई राशि का ही भुगतान करें।

8/24/19
(विभाष कुमार ठाकुर)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वित्त/बजट)
मध्य प्रदेश, भोपाल

पृ०क्रमांक/कक्ष-03/बजट-1/एफ-0812/2019/5308

भोपाल, दिनांक 24/10/19

- प्रतिलिपि:-
1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (सूचना प्रौद्योगिकी) मध्यप्रदेश भोपाल की ओर सूचनार्थ। कृपया इस पत्र को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करावें।
 2. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कार्य आयोजना) आंचलिक इन्दौर की ओर सूचनार्थ।
 3. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (जन सम्पर्क एवं क्रिये) डिपों मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग कैम्प कार्यालय, सी-1, डब्ल्यू.एच.एस. न्यू टिम्बर मार्केट, नई दिल्ली।
 4. मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय) भोपाल/बालाघाट/छिन्दवाड़ा/छतरपुर/रीवा/शहडोल/सागर/ग्वालियर/उज्जैन/सागर, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
 5. कक्ष प्रभारी, बजट आवंटन कक्ष, कार्यालय अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वित्त/बजट) मध्यप्रदेश भोपाल, उक्त आवंटित राशि सर्वर में अपलोड करावें।

8/24/19
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वित्त/बजट)
मध्य प्रदेश, भोपाल